**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली**

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

पंचायत निगरानी संख्या : 79/2018

आरसीएमएस नम्बर– 2018/00413

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| अमरीश पुत्र दलसुखराम जाति गर्ग निवासी सोमेसर तहसील रानी | | 1 भानुप्रसाद पुत्र दलसुखराम जाति गर्ग निवासी सोमेसर तहसील रानी<br>2 ग्राम पंचायत भादरलाउ जरिये सरपंच |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक- 20/02/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 51/1997–98 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 30.11.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1267 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो भाई हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी एवं अन्य सम्पतियां प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दलसुखराम की सम्पति थी। प्रार्थी गुजरात में नौकरी होने के कारण अपने परिवार सहित गुजरात में निवास करता हैं। प्रार्थी द्वारा दलसुखराम जी की एक सम्पति, जो रेल्वे बाउण्ड्री के पास में स्थित है, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की जानकारी से परे कार्यवाही करते हुए पट्टा संख्या 1266 प्रार्थी के नाम बनवाया तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में 550 वर्गफीट भूमि अधिक अंकित करते हुए पट्टा संख्या 1267 प्राप्त किया। उक्त दोनों की मिसलों में हस्ताक्षर एवं सम्पूर्ण कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही की गई तथा उक्त मूल पट्टे भी अप्रार्थी संख्या 1 के पास ही उपलब्ध हैं। उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता दलसुखराम द्वारा पुनाराम पुत्र हुकमाजी से खरीद की गई थी, जिसका पट्टा पूर्व में बना हुआ था। इस तथ्य की अप्रार्थी संख्या 1 को बखूबी जानकारी थी। इसके बावजूद भी उसने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं

अति० जिला कलक्टर, पाली

उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा पारित की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। पंचायत द्वारा पूर्ण जांच की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 2012 (2) पेज 602, डी0एन0जे0 2015 (4) पेज 1853 तथा डी0एन0जे0 2008 (2) पेज 735 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भादरलाउ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा व पट्टासुदा भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी कराने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा यह भी कथन किया कि उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में पुनाराम पुत्र हुकमाजी के नाम से जारी हो चुका हैं, जिसकी बेचान रजिस्ट्री की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की। उक्त बेचान रजिस्ट्री की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि बेचानकर्ता श्री पुनाराम पुत्र हुकमाजी जाति बैरवा निवासी सोमेसर तहसील देसूरी द्वारा अपने पट्टासुदा भूमि, जिसका पट्टा मिसल संख्या 28/82–83 की पालना में पट्टा संख्या 21 दिनांक 08.04.1983 को जारी हो चुका था, उक्त भूमि का बेचान दलसुखराम के पक्ष में जारी किया गया। उक्त भूमि पर जारी पट्टे की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की। इस स्थिति में ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि प्राथमिक स्तर पर ही आवेदन पत्र का निपटारा कर दिया जाता, क्योंकि पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में होने के बावजूद उसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत मिसल कायम की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त अवश्य ही सम्माननीय है, जिनमें निगरानी को युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत किया जाना ही न्यायोचित माना हैं। हालांकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में निगरानी प्रस्तुत किए जाने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं हैं। जहां तक युक्तियुक्त समय की संगणना का प्रश्न है, तो वह प्रकरण की परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई

अति० जिला कलक्टर, पाली

है, वह पूर्णतः दूषित है तथा विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा अपने श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में यह व्यवस्था प्रदान की है कि जब कोई आदेश अथवा आदेश को पारित करने में अपनाई गई प्रक्रिया आरम्भ से ही दूषित हो अथवा शून्य प्रभावी हो, तो उस आज्ञा को निरस्त करने हेतु अपनाई जाने वाली कार्यवाही में मियाद के अधिनियम बाधित नहीं करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होतें हैं। चूंकि प्रकरण में पूर्व में जारी पट्टा अस्तित्व में होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों का दुरूपयोग किया जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 51/1997–98 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 30.11.2011 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1267 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली